रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022025-261087
CG-DL-E-17022025-261087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 812] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2025/माघ 25, 1946
No. 812] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2025/MAGHA 25, 1946

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2025

का.आ. 816(अ).—जबकि मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय डीएलएफ साइबर पार्क, चरण III, उद्योग विहार, सेक्टर 20, गुरुग्राम, हरियाणा 122008, भारत में स्थित है, ने "धाराशिव (उस्मानाबाद), महाराष्ट्र में अपनी 350 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए मेसर्स मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम" में शामिल डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के तहत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने फ़ाइल सं. 25-17/44/2023-पीजी दिनांकित 16.11.2023 के द्वारा "उस्मानाबाद (धाराशिव), महाराष्ट्र जिले में मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड के 350 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम"में शामिल डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों लोकमत टाइम्स (अंग्रेजी में) दिनांक 13.12.2023 और लोकमत समाचार (हिंदी में) दिनांक 13.12.2023 और लोकमत और पुण्य नगरी (दोनों मराठी में) दिनांक 12.12.2023, और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 27.01.2024 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड ने 10.12.2024 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर कोई टिप्पणी/ अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत महाराष्ट्र के उस्मानाबाद (धाराशिव) जिले में मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड के 350 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डेडिकेटेड शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन हैं:

सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड विंड जेनरेशन प्रोजेक्ट (जनरेशन स्विचयार्ड गांव: तंदुवाड़ी, तालुका: वाशी, जिला: उस्मानाबाद (धाराशिव), महाराष्ट्र) से डी/सी टावर पर 220 केवी एस/सी लाइन - कल्लम पीएस (आईएसटीएस)।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन महाराष्ट्र राज्य के निम्नांकित गाँवों,कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गॉवों के नाम	**तहसील**	**जिला**	**राज्य**
तांदुलवाड़ी, दहीफल, शेंडी, जवलका, पिंपलवाड़ी, कवडेवाड़ी, पारा, सरोला मांडवा, सेलू	वाशी	उस्मानाबाद (धाराशिव)	महाराष्ट्र

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं 25-16/12/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 14th February, 2025

S.O. 816(E).—Whereas M/s Serentica Renewables India 4 Private Limited, the applicant with its registered office at DLF Cyber Park, Udyog Vihar, Phase III, Sector 20, Gurugram, Haryana- 122008, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of dedicated overhead transmission line included in the "Transmission system for providing connectivity to M/s Serentica Renewables India 4 Private Limited for its 350 MW Wind Power Project in Osmanabad (Dharashiv), Maharashtra".

And whereas, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/44/2023-PG dated 16.11.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of dedicated overhead transmission line included in the "Transmission system for providing connectivity to M/s Serentica Renewables India 4 Private Limited for its 350 MW Wind Power Project in Osmanabad (Dharashiv), Maharashtra".

M/s Serentica Renewables India 4 Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Lokmat Times (in English) dated 13.12.2023, Lokmat Samachar (in Hindi) dated 13.12.2023 and Lokmat & Punya Nagari (in Marathi) dated 12.12.2023, and in Weekly Gazette of India dated 27.01.2024 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Serentica Renewables India 4 Private Limited has submitted an affidavit dated 10.12.2024 declaring that no observation/representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of dedicated overhead transmission line for "Transmission system for providing connectivity to M/s Serentica Renewables India 4 Private Limited for its 350 MW Wind Power Project in Osmanabad (Dharashiv), Maharashtra". The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- 220 kV S/c line on D/c tower from Serentica Renewables India 4 Private Limited Wind Generation Project (Generation switchyard located in Village: Tanduwadi, Taluka: Washi, District: Osmanabad (Dharashiv), Maharashtra) - Kallam PS (ISTS).

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Maharashtra:

Villages	**Tehsil**	**District**	**State/UT**
Tandulwadi, Dahiphal, Sendi, Jawalka Pimpalwadi, Kavdewadi, Para, Sarola Mandva, Selu	Washi	Osmanabad (Dharashiv)	Maharashtra

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Serentica Renewables India 4 Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Serentica Renewables India 4 Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F.No.25-16/12/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.02.17 11:50:23 +05'30'